<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**</u>

<u>**अपील/डिक्री/टी.ए./1819/2003/नागौर**</u>

कानाराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बेमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर

अपीलान्ट

बनाम

1. लिछ्मणराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जांगीड निवासी ग्राम बेमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर
2. पन्ना राम पुत्र श्री पदमाराम
3. मु. गोदावरी बेबा घीसूलाल
4. **रामेश्वर मृतक जरिये वारिसान–**

    4/1.मु. कमला बेबा रामेश्वर

    4/2. खुशबू पुत्री रामेश्वर

    4/3. कृष्ण पुत्र रामेश्वर

    जाति जांगीड खाती निवासी ग्राम बेमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर
5. **खींवाराम पुत्र घीसूलाल**
6. **रजीराम पुत्र घीसू लाल**
7. **मूलाराम पुत्र घीसू लाल**
8. **देबूराम पुत्र श्री किसनाराम**

    जाति जांगीड निवासी ग्राम बेमोठ तहसील डीडवाना जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट्स

<u>**खण्ड पीठ**</u>

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अजीत लोढा अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29-3-2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में प्रत्यर्थी वादी लिछ्मणराम ने अपीलार्थी कानाराम व अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत वाद पत्र मकें अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित कुल चार तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 30-9-2000 के द्वारा दावा वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-3-03 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 68 के दक्षिणी 14 बीघा 2 विस्वा में वादी लिछ्मणराम को प्रतिवादी कानाराम के साथ बराबर 7बीघा 1 विस्वा का हिस्सेदार घोषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि कुल 84 बीघा 2 विस्वा का मूल खातेदार किसनाराम था। जिसके फौत होने के बाद समस्त भूमि अकेले उसके तीन पुत्रों घीसूराम,देबूराम एवं लिछ्मण राम वादी के खातेदारी में दर्ज की गई।जिसके बाद दो भाईयों घीसूराम एवं देवू राम ने परिवार की आवश्यकता हेतु कर्ता खानदान की हैसियत से तीसरे भाई लिछ्मण राम की नाबालिग अवस्था में उसकी माता मु. ग्यारसी की सहमति लेकर कुल 84 बीघा 2 विस्वा भूमि में से 42 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-3-69 के द्वारा रूपाराम पुत्र मोतीराम जाट एवं गंगाराम पुत्र चेनाराम जाट को बेचान कर दी। इस प्रकार 42 बीघा भूमि शेष रही जिसमें तीनों भाईयों घीसूराम देवूराम एवं लिछ्मणराम वादी का 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज रहा। जिसके बाद घीसूराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान पन्नाराम पुत्र पदमाराम जाट(प्रत्यर्थी संख्या 2) को कर दिया एवं देबू राम ने अपने 1/3हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9-12-91 के द्वारा कानाराम अपीलार्थी को कर दी तथा वादी लिछ्मणराम ने अपने 1/3 हिस्से अनुसार आई 14 बीघा भूमि को अपने सगे भाई घीसूराम को बेचान कर दी। उक्त बेचान पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 6-3-92 को तस्दीक किया गया। इस प्रकार वादी लिछ्मणराम का कोई हिस्सा उक्त वर्णित भूमि में नहीं रहा था। इसके बाबजूद उसने 14 बीघा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु दावा किया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि पूर्व में वादी लिछमणराम की नाबालिग अवस्था में उसके दो भाई घीसूराम व देवूराम ने अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु कर्ता खानदान की हैसियत से 42 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-3-69 के द्वारा बेचान की गई। उक्त बेचान पत्र को बालिग होने के बाद भी वादी लिछ्मणराम ने आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी है। इस कारण शेष रही 42 बीघा 2 विस्वा भूमि में वादी लिछ्मण राम का 1/3 हिस्से के मुताबिक 14 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज की गई थी। जिसको भी उसने अपने भाई घीसूराम को बेचान कर दी। जिसके बाद वादी के खाते

में कोई भूमि शेष रहती ही नहीं है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

6. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त कुल 84 बीघा 2 विस्वा के तीनों भाई रेकार्डेड सहकाश्तकार दर्ज हैं तथा इस सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होने से प्रत्यर्थी वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। जिसमें से 14 बीघा भूमि उसके द्वारा अपने भाई को बेचान की गई है शेष 14बीघा भूमि वह प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि कुल 84 बीघा 2 विस्वा का मूल खातेदार किसनाराम था। जिसके फौत होने के बाद समस्त भूमि अकेले उसके तीन पुत्रों घीसूराम,देबूराम एवं लिछ्मण राम वादी के खातेदारी में दर्ज की गई।जिसके बाद दो भाईयों घीसूराम एवं देवू राम ने कर्ता खानदान की हैसियत से तीसरे भाई लिछ्मण राम की नाबालिग अवस्था में कुल 84 बीघा 2 विस्वा भूमि में से 42 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-3-69 के द्वारा रूपाराम पुत्र मोतीराम जाट एवं गंगाराम पुत्र चेनाराम जाट को बेचान कर दी। इस प्रकार 42 बीघा भूमि शेष रही जिसमें तीनों भाईयों घीसूराम देवूराम एवं लिछ्मणराम वादी का 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज रहा। जिसके बाद घीसूराम ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान पन्नाराम पुत्र पदमाराम जाट(प्रत्यर्थी संख्या 2) को कर दिया एवं देबू राम ने अपने 1/3हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9-12-91 के द्वारा कानाराम अपीलार्थी को कर दी तथा वादी लिछ्मणराम ने अपने 1/3 हिस्से अनुसार आई 14 बीघा भूमि को अपने सगे भाई घीसूराम को बेचान कर दी। इस प्रकार वादी लिछ्मणराम का कोई हिस्सा उक्त वर्णित भूमि में नहीं रहा था।

9. पूर्व में वादी लिछ्मणराम की नाबालिग अवस्था में उसके दो भाई घीसूराम व देवूराम ने अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु कर्ता खानदान की हैसियत से 42 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-3-69 के द्वारा जो बेचान की गई थी उक्त बेचान पत्र को बालिग होने के बाद भी वादी लिछ्मणराम ने आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी है। जबकि उसको बालिग होने के तीन वर्ष के अन्दर उक्त बेचान को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी। 42 बीघा भूमि बेचान करने के बाद शेष रही 42 बीघा 2 विस्वा भूमि में वादी लिछ्मण राम का 1/3 हिस्से के मुताबिक 14 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज की गई जिसको उसने अपने भाई घीसूराम को बेचान कर दी। जिसके बाद वादी के खाते में कोई भूमि शेष रहती ही नहीं है।

10. विधिअनुसार वादी लिछ्मणराम समस्त भूमि 84 बीघा 2 विस्वा में अपने 1/3 हिस्से मुताबिक 28 बीघा 2 विस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार होना मानता है तो फिर उसको उक्त समस्त भूमि बाबत दावा प्रस्तुत करना चाहिये था और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-3-69 के आधार पर दर्ज हुये खरीददार खातेदारों रूपाराम एवं गंगाराम को भी दावे में पक्षकार बनाना चाहिये था। जबकि इस बाबत वादी द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी कानाराम ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9-12-91 के द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय की है जब तक उक्त विक्रय पत्र को वादी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेता तब तक उसको किसी भी तरह से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलार्थी कानाराम द्वारा खरीद की गई 14 बीघा के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9-12-91 में आधा हिस्सा यानि सात बीघा तक वैध माना है तथा शेष 7 बीघा तक अवैध मान लिया जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों की प्लीडिंग से परे जाकर निर्णय पारित किया है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने येाग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-9-2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य